जालौन पुलिस

112 उत्तर प्रदेश पुलिस

Operation Conviction

हत्या के अभियोग में 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 84,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे एससी एसटी कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 842/23 धारा 302/504/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट व 3(2) v एससी एसटी के अभियुक्त 1. योगेश तिवारी पुत्र हरगोविन्द तिवारी निवासी ग्राम मऊ थाना नदीगांव जनपद जालौन हाल पता मो0 इन्द्रानगर कोतवाली उरई जनपद जालौन को माननीय न्यायालय (एडीजे एससी एसटी कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा आजीवन कारावास अवधि एवं 84,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रणकेन्द्र भदौरिया ADGC



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल श्री परमहंस तिवारी



का0 हृदेश यादव कोर्ट पैरोकार



का0 आशीष तिवारी कोर्ट मुहर्रिर

@jalaunpolice